

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992

(1992 का अधिनियम संख्यांक 27)

[18 अगस्त, 1992]

प्रतिभूतियों में संव्यवहारों से संबंधित अपराधों के विचारण के
लिए विशेष न्यायालय की स्थापना का और उससे
संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों
का उपबंध करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के तैनातीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 है।

(2) यह 6 जून, 1992 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “संहिता” से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है;

(ख) “अभिरक्षक” से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अभिरक्षक अभिप्रेत है;

(ग) “प्रतिभूति” के अंतर्गत निम्नलिखित हैं :—

(i) किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में या उसके शेयर, स्क्रिप, स्टाक, बंधपत्र, डिबेंचर, डिबेंचर स्टाक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट या किसी अन्य पारस्परिक निधि के यूनिट या उसी प्रकार की अन्य विषय प्रतिभूतियां;

(ii) सरकारी प्रतिभूतियां; और

(iii) प्रतिभूतियों में अधिकार या हित;

(घ) “विशेष न्यायालय” से धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय अभिप्रेत है।

3. अभिरक्षक की नियुक्ति और उसके कृत्य—(1) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक अभिरक्षक, जितने वह ठीक समझे, नियुक्त कर सकेगी।

(2) अभिरक्षक, प्राप्त जानकारी पर यह समाधान हो जाने पर कि कोई व्यक्ति 1 अप्रैल, 1991 के पश्चात् और 6 जून, 1992 को तथा उसके पूर्व प्रतिभूतियों में संव्यवहारों से संबंधित किसी अपराध में अंतर्वलित रहा है, ऐसे व्यक्ति का नाम राजपत्र में अधिसूचित कर सकेगा।

(3) संहिता और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना की तारीख से ही उस उपधारा के अधीन अधिसूचित किसी व्यक्ति की जंगम या स्थावर या दौनों ही प्रकार की कोई संपत्ति अधिसूचना के निकाले जाने के समय से ही कुर्क हो जाएगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन कुर्क की गई संपत्ति को अभिरक्षक द्वारा ऐसी रीति से बरता जाएगा जैसी विशेष न्यायालय निर्देश दे।

(5) अभिरक्षक इस धारा और धारा 4 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किसी भी व्यक्ति की सहायता ले सकेगा।

4. कपटपूर्वक की गई संविदाओं को रद्द किया जा सकेगा—(1) यदि अभिरक्षक का ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि 1 अप्रैल, 1991 के पश्चात् और 6 जून, 1992 को तथा उसके पूर्व किसी समय धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति की किसी संपत्ति के संबंध में की गई कोई संविदा या करार कपटपूर्वक या इस अधिनियम के उपबंधों को विफल करने के लिए किया गया है, तो वह ऐसी संविदा या करार को रद्द कर सकेगा और ऐसे रद्दकरण पर ऐसी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन कुर्क हो जाएगी :

परंतु ऐसी किसी संविदा या करार को, संविदा या करार के पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् ही रद्द किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निकाली गई किसी अधिसूचना, या धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी रद्दकरण या धारा 3 या धारा 4 के अधीन अभिरक्षक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसके द्वारा किए गए किसी अन्य आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति, जहां विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संब्यवहार अपराध विचारण) विधेयक, 1992 पर राष्ट्रपति की अनुमति की तारीख के पूर्व ऐसी अधिसूचना निकाली गई है, रद्दकरण किया गया है या आदेश जारी किया गया है वहां विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संब्यवहार अपराध विचारण) विधेयक, 1992 पर राष्ट्रपति की अनुमति से तीस दिन के भीतर और जहां उस तारीख को या उसके पश्चात् अधिसूचना निकाली गई है, रद्दकरण किया गया है या आदेश जारी किया गया है वहां, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना निकाले जाने, रद्दकरण किए जाने या आदेश जारी किए जाने के तीस दिन के भीतर उस पर आक्षेप करते हुए विशेष न्यायालय में अर्जी फाइल कर सकेगा और विशेष न्यायालय पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

5. विशेष न्यायालय की स्थापना—(1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक न्यायालय स्थापित करेगी जिसे विशेष न्यायालय कहा जाएगा।

(2) विशेष न्यायालय उच्च न्यायालय के [एक या अधिक सेवारत न्यायाधीशों] से मिलकर बनेगा जिसे उच्च न्यायालय का, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह विशेष न्यायालय स्थित है, मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, नामनिर्दिष्ट करेगा।

²[(3) जब ¹[विशेष न्यायालय के किसी न्यायाधीश] का पद अनुपस्थिति या छुट्टी के कारण रिक्त है तब उस उच्च न्यायालय का जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर विशेष न्यायालय स्थित है, ऐसा न्यायाधीश जिसे उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, इस प्रयोजन के लिए नामनिर्देशित करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा और इस प्रकार नियुक्त न्यायाधीश को ¹[विशेष न्यायालय के किसी न्यायाधीश] की सभी अधिकारिता और शक्तियां होंगी, जिनके अंतर्गत अंतिम आदेश पारित करने की शक्तियां भी हैं।]

³[5. विशेष न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच मामलों का वितरण—जहां विशेष न्यायालय दो या अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनता है, वहां उस उच्च न्यायालय का जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर विशेष न्यायालय स्थित है, मुख्य न्यायमूर्ति, समय-समय पर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा न्यायाधीशों के बीच मामलों के वितरण के बारे में उपबन्ध कर सकेगा और उन विषयों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके बारे में ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी।]

6. विशेष न्यायालय द्वारा मामलों का संज्ञान—विशेष न्यायालय ऐसे मामलों का, जो उसके समक्ष संस्थित किए जाएं या जो उसको अंतरित किए जाएं, इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रूप में संज्ञान या विचारण करेगा।

7. विशेष न्यायालय की अधिकारिता—किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध के बारे में कोई अभियोजन केवल विशेष न्यायालय में संस्थित किया जाएगा और किसी न्यायालय में लंबित ऐसे अपराध के बारे में कोई अभियोजन विशेष न्यायालय को अंतरित हो जाएगा।

8. संयुक्त विचारणों के बारे में विशेष न्यायालय की अधिकारिता—विशेष न्यायालय को धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अपराध से संबद्ध किसी व्यक्ति का, मुख्य पड़यंत्रकर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में विचारण करने की अधिकारिता होगी तथा ऐसे अन्य सभी अपराधों और अभियुक्त व्यक्तियों का विचारण करने की अधिकारिता होगी जिनका संहिता के अनुसार एक विचारण में उसके साथ संयुक्त विचारण किया जा सकता है।

9. विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां—(1) विशेष न्यायालय, ऐसे मामलों के विचारण में, मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामलों के विचारण के लिए संहिता द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(2) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, संहिता के उपबन्ध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं हैं, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और संहिता के उक्त उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय सेशन न्यायालय समझा जाएगा और उसे सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जाएगा।

(3) विशेष न्यायालय अपने द्वारा सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति को ऐसा कोई भी दंडादेश दे सकेगा जो उस अपराध के दंड के लिए, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति सिद्धदोष ठहराया गया है, विधि द्वारा प्राधिकृत है।

(4) विशेष न्यायालय, उसके समक्ष लाए गए किसी अन्य मामले के संबंध में कार्यवाही करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों से संगत ऐसी प्रक्रिया अपना सकेगा जैसी वह ठीक समझे।

¹ 1997 के अधिनियम सं० 6 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

² 1994 के अधिनियम सं० 24 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

³ 1997 के अधिनियम सं० 6 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

¹[9क. सिविल मामलों में विशेष न्यायालय की अधिकारिता, शक्तियां, प्राधिकार और प्रक्रिया—(1) विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संब्यवहार अपराध विचारण) संशोधन अधिनियम, 1994 के प्रारंभ से ही, विशेष न्यायालय ऐसी सभी अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा जो ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व—

(क) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन कुकी की गई किसी संपत्ति से संबंधित;

(ख) 1 अप्रैल, 1991 के पश्चात् और 6 जून, 1992 को या उसके पूर्व प्रतिभूतियों में किए गए ऐसे किन्हीं संब्यवहारों से, जिनमें धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित कोई व्यक्ति, पक्षकार, दलाल, मध्यवर्ती के रूप में या किसी अन्य रीति से अंतर्वलित हैं, उद्भूत,

किसी मामले या दावे के संबंध में किसी सिविल न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य था।

(2) विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संब्यवहार अपराध विचारण) संशोधन अधिनियम, 1994 के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी न्यायालय के समक्ष लंबित प्रत्येक वाद, दावा या अन्य विधिक कार्यवाही (जो किसी अपील से भिन्न है), जो ऐसा वाद, दावा या कार्यवाही है, जिसमें वाद हेतुक, जिस पर वह आधारित है ऐसा है कि वह, यदि ऐसे प्रारंभ के पश्चात् उद्भूत होता तो, उपधारा (1) के अधीन विशेष न्यायालय की अधिकारिता के भीतर होता, ऐसे प्रारंभ पर विशेष न्यायालय को अंतरित हो जाएगा और विशेष न्यायालय, ऐसे वाद, दावे या अन्य विधिक कार्यवाही के अभिलेखों की प्राप्ति पर, उसके संबंध में जहाँ तक हो सके, वाद, दावे या विधिक कार्यवाही के रूप में उसी रीति से, उस प्रक्रम से जिस पर वह ऐसे अंतरण के पूर्व थी या किसी पूर्वतर प्रक्रम से या नए सिरे से, जो विशेष न्यायालय ठीक समझे, आगे कार्यवाही कर सकेगा।]

(3) विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संब्यवहार अपराध विचारण) संशोधन अधिनियम, 1994 के प्रारंभ से ही विशेष न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय को, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी मामले या दावे के संबंध में कोई अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार नहीं होगा या वह उसका प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

(4) ऐसे मामलों के संबंध में कार्यवाही करते समय जो इस धारा के अधीन किसी मामले या दावे से संबंधित हैं, विशेष न्यायालय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा आवद्ध नहीं होगा किन्तु वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेगा तथा इस अधिनियम के और किसी नियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, विशेष न्यायालय को अपनी प्रक्रिया का स्वयं विनियमन करने की शक्ति होगी।

(5) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त अन्य शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष न्यायालय को, इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज अथवा ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना;

(छ) किसी मामले को व्यतिक्रम के लिए खारिज करना या उसका एकपक्षीय रूप से विनिश्चय करना;

(ज) किसी मामले को व्यतिक्रम के लिए खारिज करने के किसी आदेश को या अपने द्वारा एक पक्षीय रूप से पारित किसी आदेश को अपास्त करना; और

(झ) कोई अन्य विषय जो धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

9ख. माध्यस्थम् मामलों में विशेष न्यायालय की शक्तियां—(1) विशेष न्यायालय को धारा 9क की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी मामले या दावे से संबंधित किसी निर्देश की विषय-वस्तु के भागरूप किसी प्रश्न का विनिश्चय करने की माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) के अधीन किसी न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी।

(2) विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संब्यवहार अपराध विचारण) संशोधन अधिनियम, 1994 के प्रारंभ की तारीख के ठीक पूर्व किसी न्यायालय के समक्ष लंबित और माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) द्वारा शासित धारा 9क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी मामले या दावे के संबंध में प्रत्येक वाद या अन्य कार्यवाही (जो किसी अपील से भिन्न हैं) उस तारीख को विशेष न्यायालय को अंतरित हो जाएंगी।

¹ 1994 के अधिनियम सं० 24 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “न्यायालय” और “निर्देश” पदों के वही अर्थ हैं जो माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) की धारा 2 के खंड (ग) और खंड (ङ) के अधीन परिभाषित हैं।]

10. अपील—(1) संहिता¹ [या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1905 का 5) या माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10)] में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश, जो अंतरवर्ती आदेश नहीं है, के विरुद्ध तथ्य और विधि, दोनों के संबंध में उच्चतम न्यायालय को अपील होगी।

(2) यथापूर्वोक्त के सिवाय, विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, [डिक्री], दण्डादेश या आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील या उसका पुनरीक्षण नहीं होगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी :

परंतु यदि उच्चतम न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि तीस दिन की अवधि के भीतर अपील न करने के लिए अपीलार्थी के पास पर्याप्त कारण था, तो वह तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा।

11. दायित्वों का निर्वहन—(1) संहिता में और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय कुर्क की गई संपत्ति के व्यय के लिए अभिरक्षक को निदेश देते हुए ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

(2) निम्नलिखित दायित्वों का, यावत्शक्य, निम्नलिखित क्रम में पूर्णतः संदाय या निर्वहन किया जाएगा :—

(क) धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन अभिरक्षक द्वारा अधिसूचित व्यक्तियों से केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय सभी राजस्व, कर, उपकर और रेट;

(ख) अभिरक्षक द्वारा इस प्रकार अधिसूचित व्यक्ति से किसी बैंक या वित्तीय संस्था या पारस्परिक निधि को देय सभी रकमें;

(ग) कोई अन्य दायित्व, जो विशेष न्यायालय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

²[11क. अवमान के लिए दंड देने की शक्ति—विशेष न्यायालय को अपने अवमान की बाबत वही अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार होंगे और वह उनका प्रयोग करेगा जो किसी उच्च न्यायालय को हैं और जिनका वह प्रयोग कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिए न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 (1971 का 70) के उपबंध निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे अर्थात् :—

(क) उनमें किसी उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अन्तर्गत ऐसे विशेष न्यायालय के प्रति निर्देश हैं;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 15 में महाधिवक्ता के प्रति निर्देशों का विशेष न्यायालय के संबंध में, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह महान्यायावादी या महासालिसिटर या अपर महासालिसिटर के प्रति निर्देश हैं।]

12. सद्व्यावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—(1) इस अधिनियम के अधीन सद्व्यावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या अभिरक्षक के विरुद्ध नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन सद्व्यावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या उसके किन्हीं अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं होगी।

13. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना—इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी की किसी डिक्री या आदेश में इससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

14. नियम बनाने की शक्ति—(1) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

¹ 1994 के अधिनियम सं० 24 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।

² 1994 के अधिनियम सं० 24 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।

15. निरसन और व्यावृति—(1) विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्यांक 10) निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।
